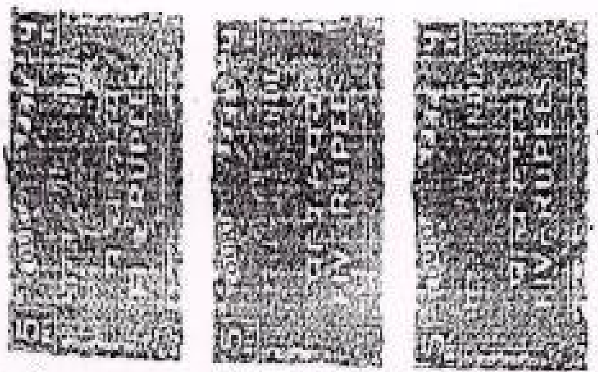

नकल आदेश दिनांक- 05/07/19 न्यायालय अधि[illegible] [illegible]
तहसील केराकत जनपद जौनपुर वाद नं० T201014 [illegible]
[illegible]
मूलचन्द यादव मेमोरियल ट्रस्ट छितौना केराकत [illegible]
[illegible] के साथ नकल दाखिल संलग्न है।

C.M. [illegible]

प्राचार्य
महर्षि मूलचन्द यादव फार्मेसी कालेज
नदौली, हेडुवाबा, केराकत, जौनपुर

सविता यादव
प्रबंधक
महर्षि मूलचन्द यादव मेमोरियल ट्रस्ट
छितौना केराकत जौनपुर [illegible]

न्यायालय उपजिलाधिकारी केराकत।
वाद सं0 T201914360 8936 धारा 143 ज0वि0अधि0
मौजा–डेडुवाना परगना व तह0 केराकत
महर्षि मूलचन्द यादव मेमोरियल ट्रस्ट छितौना ग्राम–डेडुवाना बनाम गॉवसभा

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महर्षि मूलचन्द यादव मेमोरियल ट्रस्ट छितौना ग्राम–डेडुवाना प्रबन्धक सविता यादव केराकत जौनपुर केराकत जौनपुर ने धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अभिकथन किया है कि आराजी नं0 1170/0.1226 है0, 1173/0.0530 है0 व 555/0.4050 है0 का प्रबन्धक के रूप में मालिक काबिज भूमिधर है। प्रार्थिनी आराजी नं0 1170/0.1226 है0, 1173/0.0530 है0 व 555/0.4050 है0 पर महर्षि मूलचन्द यादव फार्मेसी कालेज नदौली डेडुवाना केराकत जौनपुर के भवन को निर्मित करायी है। कृषि कार्य नहीं होता है अन्य अभिकथन करते हुए अन्त में आराजी नं0 1170/0.1226 है0, 1173/0.0530 है0 व 555/0.4050 है0 को अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त करने हेतु याचना किया गया है। पत्रावली में साक्ष्य स्वरूप खतौनी 1429 ल0 1431 व जा0च0आ0 पत्र 41–45 प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली आख्या हेतु तहसीलदार केराकत के यहाँ भेजी गयी। तहसीलदार केराकत द्वारा नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक 10.05.2019 को अपने अग्रसारण आख्या दिनांक 26.06.2019 के साथ इस न्यायालय को उपलब्ध करायी गयी। तहसीलदार केराकत के आख्या के अनुसार ग्राम डेडुवाना परगना व तहसील केराकत की खतौनी सन् 1429 ल0 1431 फसली के खाता संख्या 109 आराजी नं0 1170/0.1226 है0, 1173/0.0530 है0 व 555/0.4050 है0 पर महर्षि मूलचन्द यादव मेमोरियल ट्रस्ट छितौना ग्राम–डेडुवाना केराकत जौनपुर के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आराजी नं0 1170/0.1226 है0, 1173/0.0530 है0 व 555/0.4050 है0 पर महर्षि मूलचन्द यादव फार्मेसी कालेज नदौली डेडुवाना केराकत जौनपुर का भवन निर्माण व चहार दीवारी बनी है। जिसमें कृषि कार्य नही होता है। मौके पर अकृषिक है। अतः ग्राम डेडुवाना में स्थित आराजी नं0 1170/0.1226 है0, 1173/0.0530 है0 व 555/0.4050 है0 मौके पर आकृषिक होने के कारण धारा 143 के अन्तर्गत अंकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्राप्त करायी गयी है। साथ में स्थलीय जाँच आख्या व महर्षि मूलचन्द यादव फार्मेसी कालेज नदौली डेडुवाना केराकत जौनपुर भवन निर्मित फोटो संलग्न है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार केराकत की आख्या एवं अभिलेख साक्ष्यों का विधिवत अनुशीलन किया। ग्राम डेडुवाना परगना व तहसील केराकत जौनपुर की खतौनी 1429 ल0 1431 फसली के खाता संख्या 109 के आराजी नं0 1170/0.1226 है0, 1173/0.0530 है0 व 555/0.4050 है0 पर महर्षि मूलचन्द यादव मेमोरियल ट्रस्ट छितौना ग्राम–डेडुवाना केराकत जौनपुर स्थानीय का नाम बतौर का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिसमें महर्षि मूलचन्द यादव फार्मेसी कालेज नदौली डेडुवाना केराकत जौनपुर भवन निर्माण व चहार दीवारी निर्मित है। इस प्रकार उक्त आराजी में कृषि कार्य नही होता है। जो आकृषिक किया जाने में कोई विधिक अड़चन नही है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम–डेडुवाना परगना व तहसील केराकत जिला– जौनपुर के आराजी नं0 1170/0.1226 है0, 1173/0.0530 है0 व 555/0.4050 है0 आकृषिक घोषित करते हुए लगान मुताबित परती मुक्त किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबन्धन केराकत के यहाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद अनुपालन पत्रावली सचित अभिलेखागार हो।

(चन्द्र प्रकाश पाठक)
उपजिलाधिकारी
केराकत, जौनपुर।

सत्य प्रतिलिपि

सविता यादव
प्रबंधक

प्राचार्य
महर्षि मूलचन्द यादव फार्मेसी कालेज
नदौली, डेडुवाना, केराकत, जौनपुर

C F 4/13.00

[illegible]

[illegible] दिनांक 26.3.14 [illegible]

उपजिलाधिकारी [illegible]

[illegible] 72011111360 50889 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C.N 687

सविता यादव

[illegible]

महर्षि मूलचन्द [illegible]

छितौना, केराकत, [illegible]

सवितायादव

प्रबन्धक

महर्षि मूलचन्द यादव महिला महाविद्यालय

नदौली, केराकत, जौनपुर

[illegible]

प्राचार्य

महर्षि मूलचन्द यादव फार्मेसी कालेज

नदौली, हेदुताना, केराकत, [illegible]

सविता यादव

प्रबंधक

महर्षि मूलचन्द यादव मेमोरियल ट्रस्ट

छितौना केराकत जौनपुर उ०प्र०

न्यायालय उपजिलाधिकारी केराकत।

वाद सं0 T201414360588 9 धारा 143 ज0वि0अधि0

मौजा डेडुवाना परगना व तह0 केराकत

महर्षि मूलचन्द यादव महिला महाविद्यालय नदौली (डेडुवाना) बनाम गाँवसभा

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महर्षि मूलचन्द यादव महिला महाविद्यालय नदौली, प्रबन्धक सविता ... केराकत जौनपुर ने धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अभिकथन किया है कि आराजी नं ... /0.412 व 1172/0.166 है0 का प्रबन्धक के रूप मे मालिक काबिज भूमिधर है। प्रार्थिनी आराजी नं ... /0.412 व 1172/0.166 है0 पर महर्षि मूलचन्द यादव महिला महाविद्यालय नदौली के भवन को ... त करायी है। कृषि कार्य नहीं होता है। अन्य अभिकथन करते हुए अन्त में आराजी नं 1171/0.412 ... 1172/0.166 है0 को अकृषिक घोषित करते हुए लगान शुन्य करने हेतु याचना किया गया है। ...त्रावली में साक्ष्य स्वरूप खतौनी 1420 ल0 1425 खाता संख्या 569 व जो0च0आ0 पत्र 41–45 प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली आख्या हेतु तहसीलदार केराकत के यहाँ भेजी गयी। तहसीलदार केराकत द्वारा नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक 28–02–14 को अपने अग्रसारण आख्या दिनांक 14–03–14 के साथ इस न्यायालय को उपलब्ध करायी गयी। तहसीलदार केराकत के आख्या के अनुसार ग्राम डेडुवाना परगना व तहसील केराकत की खतौनी सन् 1420 ल0 1425 फसली के खाता संख्या 569 के आराजी न0 1171/0.412 व 1172/0.166 है0 पर महर्षि मूलचन्द यादव महिला महाविद्यालय नदौली केराकत के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, आराजी नं 1171/0.412 व 1172/0.166 है0 पर महर्षि मूलचन्द यादव महिला महाविद्यालय नदौली केराकत का भवन निर्माण व चहार दीवारी बनी है। जिसमें कृषि कार्य नहीं होता है। मौके पर अकृषिक है। अतः ग्राम डेडुवाना में स्थित आराजी नं 1171/0.412 व 1172/0.166 है0 मौके पर अकृषिक होने के कारण धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्राप्त करायी गयी है। साथ में स्थलीय जाँच आख्या व महर्षि मूलचन्द यादव महिला महाविद्यालय नदौली भवन निर्मित फोटो संलग्न है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार केराकत की आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का विधिवत अनुशीलन किया। ग्राम डेडुवान परगना व तहसील केराकत जौनपुर की खतौनी 1420 ल0 1425 फसली के खाता संख्या 569 के आराजी नं 1171/0.412 व 1172/0.166 है0 पर महर्षि मूलचन्द यादव महिला महाविद्यालय नदौली स्थानीय का नाम ... भूमिधर अंकित है। जिसमें महर्षि मूलचन्द यादव महिला महाविद्यालय नदौली भवन निर्माण ... निर्मित है। इस प्रकार उक्त आराजी मे कृषि कार्य नहीं होता है। जो अकृषिक ... कोई विधिक अड़चन नही है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम डेडुवाना परगना व तहसील केराकत जिला–जौनपुर के आराजी न0 1171/0.412 व 1172/0.166 है0 अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुताबिक परता मुक्त किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबन्धक केराकत के यहाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद अनुपालन पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

सविता यादव 687 22-4-14

प्रबन्धक

महर्षि मूलचन्द यादव मेमोरियल ट्रस्ट 22-4-14

छितौना, केराकत, जौनपुर उ0प्र0 22-4-14

सविता यादव

प्रबन्धक

महर्षि मूलचन्द यादव महिला महाविद्यालय

सत्य प्रतिलिपि

प्राचार्य

महर्षि मूलचन्द यादव कामर्स कालेज

नदौली, डेडुवाना, केराकत, जौनपुर

(रामहर्ष मौर्य)

उप जिलाधिकारी,

केराकत।

26-3-14 सविता यादव

प्रबंधक

महर्षि मूलचन्द यादव मेमोरियल ट्रस्ट